न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

ठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

ाद संख्या :– 64/2022

शीर्षक

1. विजयलाल पुत्र रामू उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी भानीराम जी वाली वार्ड नं0 35 शाहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. ग्यारसीलाल
2. महेन्द्र } पुत्रान गोदा
3. सूरजी पत्नी गोदा

समस्त जाति जाट निवासी ढाणी भानीराम जी वाली वार्ड नं0 35 शाहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0

4. सीता पुत्री गोदा पत्नी गोपी
5. मन्नी पुत्री गोदा पत्नी मोहन
6. बोदी पुत्र गोदा पत्नी शंकर
7. हंसा पुत्री गोदा पत्नी विकम
8. इन्द्रा पुत्री गोदा पत्नी पूरण
9. कमली पुत्री गोदा पत्नी दीपू

समस्त जाति जाट निवासी ढाणी मानावाली , तन धानोता तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0

10. कैलाश
11. शिम्भूदयाल } पुत्रान भगवान सहाय
12. रूडा पुत्र पेमा जाति जाट निवासी ढाणी भानीराम जी वाली वार्ड नं0 35 शाहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0
13. पटवारी हल्का शाहपुर ए, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0
14. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय शाहपुरा तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 31/01/24

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी ख0नं0–2414/0.32, 2415/0.38, 2422/0.30, 2455/0.33, 2456/0.35, 2459/0.40, 2460/0.33, 2461/0.32, 2462/0.32, 2466/0.36, 2468/0.08, 2471/0.02, 2472/0.32, 2473/0.26, 2474/0.28, 2475/0.28, 2477/0.35, 2478/0.32 कुल किता 18 रकबा 5.32 है0 वाकै ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी वादी का 1/4 हिस्सा एवं एवं प्रतिवादी सं0 01 लगा0 09 प्रत्येक का 1/36, प्रतिवादी सं0 10 छोटूराम का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 11 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 12 का 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है व आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 लगा0 12 की सहखातेदारी भूमि है।

यह कि उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 लगा0 12 की सम्मिलित सहखातेदारी की भूमि है जिसका वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आज तक कोई कानूनी बंटवारा नही हुआ है वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 लगा0 12 आराजी मुतनाजा को अपने अपने हिस्से के अनुसार आपसी मनबट से पृथक पृथक व सम्मिलित में काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है व सम्मिलित में ही राज लगान अदा करते है। यह कि आराजी मुतनाजा में वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 लगा. 03 , 10, 11 व 12 ने अपने निवास हेतु पृथक–पृथक मकान बना रखे है व अपने अपने हिस्सो के अनुसार सम्मिलित व अलग–अलग काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है वादी

उप खण्ड अधिकारी

के 1/4 भाग से प्रतिवादीगण या अन्य किसी का कोई संबंध अधिकार व कब्जा नही रहा है एवं न ही वर्तमान में है। यह की प्रतिवादीगण सं0 01 लगा. 12 अपस में मिले हुये है जिन्होने वादी के विरूद्ध एक नाजयज संगठन बना रखा है व उपरोक्त आराजी की खातेदारी सम्मिलित की दर्ज होने से वादी को उसके हिस्से से जबरन बेदखल करना व बिना कानूनी बंटवारा कराये आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू-भाग सडक से लगता हुआ को अन्य दीगर को रहन विक्रय हस्तानान्तरण करना व विशिष्ट भू-भाग पर बिना बंटवारा कराये व बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के पुखता निर्माण कर मौका स्थिति भू-उपयोग परिवर्तन करना चाहते है जिसकी उन्होने वादी को 3 रोज पूर्व स्पष्ट धमकी दी वादी ने प्रतिवादीगण से आराजी मुतनाजा का अपने-अपने हिस्सो के अनुसार कूननी बंटवारा कराने व उसका राज लगान निर्धारण करवाने हेतु कहा तो उससे भी इन्कार हो गये इसलिए वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। ऐसी स्थिति में वादी का प्रतिवादीगण के सम्मिलित में काबज रहकर काश्त करना संभव नही रहो हे इसलिये वादी अपने 1/4 भाग का कानूनी बंटवारा करवान व उसका राज लगान निर्धारण करवान चाहता है। यह कि यदि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो वे बिना किसी अधिकार के वादी को उसके 1/4 भाग की भूमि से बेदखल करने व बिना कानूनी बंटवारा कराये आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू-भाग सडक से लगता हुआ को अन्य दीगर को रहन विक्रय हस्तानान्तरण करने व बिना बंटवारा कराये आराजी के भू-भाग पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के पुख्ता निर्माण कार्य करने व मौका स्थिति व भू-उपयोग परिवर्तन करने में सफल हो जावेगे जिसे वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि में नही की जा सकेगी व पक्षकारान में अनावश्यक मुदमेबाजी बढेगी। इस वाद के विवाद का कारण वाद पत्र की खण्ड सं0 01 में वर्णित आराजी के बाद पत्र की खण्ड सं0 2 में वर्णित अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार होने व खण्ड सं0 03 में वर्णित अनुसार आपसी मनबंट से सम्मलित व पृथक-पृथक काबिज रहकर काश्त करने व आज तक कानूनी बंटवारा नही होने व खण्ड सं0 04 में वर्णित अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने पृथक-पृथक मकान बनाकर निवास कर काबिज होने व खण्ड सं0 05 में वर्णित अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को धमकी देने व बंटवारा करने से इन्कार होने व खण्ड सं0 06 में वर्णित अनुसार वादी अपने 1/4 भाग का कानूनी बंटवारा कराने का अधिकारी होने के फलस्वरूप उत्पन्न होकर अन्दर अवधि पेश है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी ख0नं0-2414/0.32, 2415/0.38, 2422/0.30, 2455/0.33, 2456/0.35, 2459/0.40, 2460/0.33, 2461/0.32, 2462/0.32, 2466/0.36, 2468/0.08, 2471/0.02, 2472/0.32, 2473/0.26, 2474/0.28, 2475/0.28, 2477/0.35, 2478/0.32 कुल किता 18 रकबा 5.32 है0 वाकै ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के वादी के 1/4 भाग का कानूनी बंटवारा राजस्व बोर्ड के नियमो के अनुसार व सरस नरस से करवाया जाकर उसका पृथक से राज लगान निर्धारण किया जाकर वादी के नाम खातेदारी पृथक से दर्ज की जाकर उसका पृथक से राजस्व रिकार्ड में व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद कराया जावे। तथा यह कि बाद बंटवारा वादी के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि के सबंध में प्रतिवादीगण व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करे।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी करवाई गई। प्रतिवादी सं0 01, 06, 07 की ओर से एडवोकेट श्री शंकरमान उपस्थित आये। प्रतिवादीगण सं0 02 लगायत 05 व 08 लगायत 15 की ओर से बावजूद सम्मन तलबी की सूचना के अनुपस्थित। इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्य वाही अमल में लाई गयी। दिनांक 11.11.2022 को पत्रावली का अवलोकन किया प्रतिवादी सं0 01, 06, 07 की ओर से अधिवक्ता शंकरमान ने प्रकरण में आदिनांक तक वकालत नामा व जवाबदावा पेश नही किया एवं आज दिनांक को अनुपस्थित रहे। वकील वादी ने दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । दिनांक 22.09.2023 को वकील प्रतिवादी सं0 01, 06, 07 के द्वारा प्रकरण में पूर्व में अण्डरटेकिंग दी गई परंतु आदिनांक तक प्रकरण में वकालतनामा व जवाब दावा पेश नही किया गया। प्रतिवादी सं0 01, 06, 07 प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत भी उपस्थित नही आये । प्रतिवादी सं0 01, 06, 07 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार शाहपुरा ने अपने

उपखण्ड अधिकारी

पत्र क्रमांक भू0अ0/2023/554 दिनांक 13.02.2023 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किये गये। वकील वादी ने उपस्थित होकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार दावा अंतिम डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रकरण में सभी खातेदारो को पक्षकार बनाया गया है तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा प्रस्ताव सही होने से दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी ख0नं0-2414/0.32, 2415/0.38, 2422/0.30, 2455/0.33, 2456/0.35, 2459/0.40, 2460/0.33, 2461/0.32, 2462/0.32, 2466/0.36, 2468/0.08, 2471/0.02, 2472/0.32, 2473/0.26, 2474/0.28, 2475/0.28, 2477/0.35, 2478/0.32 कुल किता 18 रकबा 5.32 है0 वाके ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. विजयलाल पुत्र रामू जाति जाट सा0 देह खातेदार आ.ख.नं. 2422/1 रकबा 0.2550 है0, 2459/2 रकबा 0.14 है0, 2460/1 रकबा 0.14 है0, 2462/1 रकबा 0.1950 है0, 2466/1 रकबा 0.0450 है0, 2475/2 रकबा 0.16 है0, 2478 रकबा 0.32 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.2550 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

2. रूडा पुत्र पेमा जाति जाट सा0 देह खातेदार आ.ख.नं. 2455/2 रकबा 0.3250 है0, 2459/1 रकबा 0.26 है0, 2462/2 रकबा 0.1250 है0, 2473/2 रकबा 0.23 है0, 2477/1 रकबा 0.3150 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.2550 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

3. शिम्भूदयाल, कैलाश पि0 भगवान सहाय जाति जाट सा0 देह खातेदार आ.ख.नं. 2414/1 रकबा 0.2850 है0, 2456/2 रकबा 0.34 है0, 2461 रकबा 0.32 है0, 2471 रकबा 0.02 है0, 2472/2 रकबा 0.29 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.2550 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

4. सुरजी देवी पत्नी गोदा, ग्यारसी लाल , महेन्द्र कुमार पि0 गोदा, इन्द्रा देवी, कमली देवी, बोदी देवी, मन्नी देवी, सीता देवी, हंसा देवी पुत्रियान गोदा जाति जाट सा0 देह खातेदार आ.ख. नं. 2414/2 रकबा 0.0150 है0, 2415/1 रकबा 0.37 है0, 2422/3 रकबा 0.0250 है0, 2460/2 रकबा 0.19 है0, 2466/2 रकबा 0.28 है0, 2474 रकबा 0.28 है0, 2475/1 रकबा 0.0950 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.2550 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

5. शामलाती रास्ते आ.ख.नं. 2468 रकबा 0.08 है0 गै0मु0 आबादी शामलाती रहेगी। आराजी ख0नं0 2414/3 रकबा 0.02 है0, 2415/2 रकबा 0.01 है0, 2422/2 रकबा 0.02 है0, 2455/1 रकबा 0.0050 है0, 2456/1 रकबा 0.01 है0, 2466/3 रकबा 0.0350 है0, 2468 रकबा 0.08 है0, 2472/1 रकबा 0.0080 है0, 2472/3 रकबा 0.0220 है0, 2473/1 रकबा 0.01, 2473/3 रकबा 0.02 है0, 2475/3 रकबा 0.0250 है0, 2477/2 रकबा 0.0350 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 0.30 है0।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/01/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

ठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
द संख्या :– 64/2022

शीर्षक

1. विजयलाल पुत्र रामू उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी भानीराम जी वाली वार्ड नं0 35 शाहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. ग्यारसीलाल
2. महेन्द्र } पुत्रान गोदा
3. सूरजी पत्नी गोदा

समस्त जाति जाट निवासी ढाणी भानीराम जी वाली वार्ड नं0 35 शाहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0

4. सीता पुत्री गोदा पत्नी गोपी
5. मन्नी पुत्री गोदा पत्नी मोहन
6. बोदी पुत्र गोदा पत्नी शंकर
7. हंसा पुत्री गोदा पत्नी विक्रम
8. इन्द्रा पुत्री गोदा पत्नी पूरण
9. कमली पुत्री गोदा पत्नी दीपू

समस्त जाति जाट निवासी ढाणी मानावाली , तन धानोता तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0

10. कैलाश
11. शिम्भूदयाल } पुत्रान भगवान सहाय

12. रूडा पुत्र पेमा जाति जाट निवासी ढाणी भानीराम जी वाली वार्ड नं0 35 शाहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0
13. पटवारी हल्का शाहपुर ए, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0
14. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय शाहपुरा तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

प्रतिवादीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 31/01/24

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है कि हाल आराजी ख0नं0–2414/0.32, 2415/0.38, 2422/0.30, 2455/0.33, 2456/0.35, 2459/0.40, 2460/0.33, 2461/0.32, 2462/0.32, 2466/0.36, 2468/0.08, 2471/0.02, 2472/0.32, 2473/0.26, 2474/0.28, 2475/0.28, 2477/0.35, 2478/0.32 कुल किता 18 रकबा 5.32 है0 वाकै ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. विजयलाल पुत्र रामू जाति जाट सा0 देह खातेदार आ.ख.नं. 2422/1 रकबा 0.2550 है0, 2459/2 रकबा 0.14 है0, 2460/1 रकबा 0.14 है0, 2462/1 रकबा 0.1950 है0, 2466/1 रकबा 0.0450 है0, 2475/2 रकबा 0.16 है0, 2478 रकबा 0.32 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.2550 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

2. रूडा पुत्र पेमा जाति जाट सा0 देह खातेदार आ.ख.नं. 2455/2 रकबा 0.3250 है0, 2459/1 रकबा 0.26 है0, 2462/2 रकबा 0.1250 है0, 2473/2 रकबा 0.23 है0, 2477/1 रकबा 0.3150 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.2550 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

3. शिम्भूदयाल, कैलाश पि0 भगवान सहाय जाति जाट सा0 देह खातेदार आ.ख.नं. 2414/1 रकबा 0.2850 है0, 2456/2 रकबा 0.34 है0, 2461 रकबा 0.32 है0, 2471 रकबा 0.02 है0, 2472/2 रकबा 0.29 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.2550 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

4. सुरजी देवी पत्नी गोदा, ग्यारसी लाल , महेन्द्र कुमार पि0 गोदा, इन्द्रा देवी, कमली देवी, बोदी देवी, मन्नी देवी, सीता देवी, हंसा देवी पुत्रियान गोदा जाति जाट सा0 देह खातेदार आ.ख.नं. 2414/2 रकबा 0.0150 है0, 2415/1 रकबा 0.37 है0, 2422/3 रकबा 0.0250 है0, 2460/2 रकबा 0.19 है0, 2466/2 रकबा 0.28 है0, 2474 रकबा 0.28 है0, 2475/1 रकबा 0.0950 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.2550 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

5. शामलाती रास्ते आ.ख.नं. 2468 रकबा 0.08 है0 गै0मु0 आबादी शामलाती रहेगी। आराजी ख0न0 2414/3 रकबा 0.02 है0, 2415/2 रकबा 0.01 है0, 2422/2 रकबा 0.02 है0, 2455/1 रकबा 0.0050 है0, 2456/1 रकबा 0.01 है0, 2466/3 रकबा 0.0350 है0, 2468 रकबा 0.08 है0, 2472/1 रकबा 0.0080 है0, 2472/3 रकबा 0.0220 है0, 2473/1 रकबा 0.01, 2473/3 रकबा 0.02 है0, 2475/3 रकबा 0.0250 है0, 2477/2 रकबा 0.0350 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 0.30 है0।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें।

निर्णय आज तारीख 31/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(अशोक कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्श के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	